



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 अग्रहायण 1938 (श०)
(सं० पटना 1043) पटना, शुक्रवार, 9 दिसम्बर 2016

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 नवम्बर 2016

सं० वि०स०वि०-32/2016-6042/वि०स०।—“बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

राम श्रेष्ठ राय,

सचिव, बिहार विधान-सभा।

[विंस०वि०-26/2016]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना । – प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं छात्रों की शिक्षा के हित में राज्य में पूर्व से संचालित तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को विभाजित कर मुंगेर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है।

भारत-गणराज्य के सङ्गठनों वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ । – (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा- 3 का संशोधन । – बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 की उप धारा (1) के खण्ड (ट) के बाद एक नया खण्ड (ठ) निम्नवत् जोड़ा जाएगा :—

“(ठ) राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित तिथि से, मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकेगी, जिसका मुख्यालय मुंगेर में होगा और जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता सम्पूर्ण मुंगेर प्रमण्डल में प्रभावी होगी”

3. व्यावृत्ति ।—बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 (1) में ऐसे संशोधन के होते हुए भी, उक्त धारा-3 (1) के द्वारा या के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई उक्त धारा-3 (1) के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया या की गई समझी जाएगी और बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-3 (1) में हुए उक्त संशोधनों के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा अथवा की जाएगी।

उद्देश्य एवं हेतु

प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा छात्रों की शिक्षा के हित में राज्य में पूर्व से संचालित तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को विभाजित कर मुंगेर में एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है। इस निमित्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा 3 की उप धारा (1) में कतिपय संशोधन एवं कतिपय उपबंधों का जोड़ा जाना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है।

अशोक चौधरी,
भारसाधक सदस्य।

पटना
दिनांक 30.11.2016

सचिव,
बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1043-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>